संख्याः 62/IV(3)/शoविo–166(साo)/03 टीसी

प्रेषक,

डी0के0गुप्ता,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

2– नगर प्रमुख/मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम,देहरादून।

3– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, द्वारा जिलाधिकारी
समस्त नगर पालिका परिषद,उत्तरांचल।

4– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, द्वारा जिलाधिकारी
समस्त नगर पंचायत,उत्तरांचल।

शहरी विकास विभागः देहरादून दिनांक 25–04–05

विषयः– अवस्थापना विकास के बारे में प्रस्ताव ।

महोदय,

वर्ष 2005–06 के बजट में अवस्थापना विकास हेतु रु0 50 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। इसी मद से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई अवस्थापना सम्बन्धी घोषणाओं की पूर्ति भी की जानी है। अवस्थापना विकास निधि की परिकल्पना तथा इस बारे में दिनांक 31–3–05 को माननीय शहरी विकास की अध्यक्षता में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया दिनांक 31–3–05 की बैठक में लिये गये निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए अपने जनपद के नगर निकायों से सम्बन्धित प्रस्ताव एक पक्ष के अन्दर शासन को भिजवाने का कष्ट करें । प्रस्ताव स्थानीय अवस्थापना विकास की आवश्यकताओं के अनुरुप होने चाहिए। सम्बन्धित नगर निकाय अपने प्रस्तावों में स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को भी इंगित करने का कष्ट करें।

कतिपय नगर निकायों में कार्यालय भवन भी जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में हैं। जिन निकायों में कार्यालय भवनों के निर्माण, पुर्ननिर्माण अथवा अतिरिक्त भवन निर्माण की आवश्यकता हो, उनका विस्तृत विवरण, वर्तमान भवन का निर्मित क्षेत्रफल, निर्माण का वर्ष तथा अतिरिक्त भवन की आवश्यकता का पूर्ण विवरण (कितना अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल चाहिये आदि)देते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है अथवा नही तथा यदि उपलब्ध है तो उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल आदि का पूर्ण विवरण भी विस्तार से दिये जाये। जिन नगर निकायों में नये भवनों का निर्माण होना हैं वहां यह भी देख लिया जाये कि क्या भूतल का उपयोग वाणिज्यिक आय बढ़ाने के कार्यो में किया जाना व्यवहारिक होगा। तथा

निर्माण करते समय भवन बहुमंजलीय होना चाहिए ताकि उपलब्ध भूमि का समुचित उपयोग हो। साथ ही वाहन पार्किंग व्यवस्था आदि का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन निकायों ने अभी तक घोषणाओं के संदर्भ में आगणन नहीं भेजे हैं वह कृपया एक पक्ष के अन्दर आगणन भेजना सुनिश्चित करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणाओं से सम्बन्धित आगणन लोक निर्माण विभाग के शैड्यूल पर बने होने चाहिए तथा उन्हें लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाये। जिन निकायों द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणओं से सम्बन्धित आगणन लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराये है वह कृपया उन्हें तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए नगर विकास विभाग ,उत्तरांचल शासन को भेजना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त विषय पर प्राथमिकता पर कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्न यथोक्त।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 25/4/05
(डी०के०गुप्ता)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–(संलग्नकों सहित)

1– आयुक्त,गढवाल एवं कुमांऊ उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से नगर निकायों को निर्देश जारी करते हुए समय से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– स्टाफ आफिसर,अपर मुख्य सचिव को(संलग्नकों सहित) अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

4– निजी सचिव,माननीय शहरी विकास मंत्री जी को मा०शहरी विकास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

5– निजी सचिव,माननीय मुख्य मंत्री जी,उत्तरांचल सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न यथोक्त।

6. प्रतिलिपि निदेशक सूचना।

7. प्रतिलिपि निदेशक, N.I.C.।

(हस्ताक्षर) 25/4/05
(डी०के०गुप्ता)
अपर सचिव।

(हस्ताक्षर) 27/4/05

नांक 31–3–05 को मा0 शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास निधि
कराये जाने वाले कार्यो के बारे में बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 31–3–05 को मा0 शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास
धि से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ। बैठक में निम्नलिखित
धिकारीगण उपस्थित थे:–

- श्री अमरेन्द्र सिन्हा — सचिव शहरी विकास /नियोजन
- श्री डी0के0गुप्ता — अपर सचिव शहरी विकास
- श्री के0सी0मिश्रा — अपर सचिव (वित्त)
- श्री के0एल0आर्य — अपर प्रमुख वन सरंक्षक
- श्री बृज बी0रतन — प्रभारी अधिकारी नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग।
- श्री बी0डी0रतूड़ी — पर्यावरण अभियन्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- श्री एस0एस0 पाल — स0वै0अधि0

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

- मा0 मंत्री जी ने निर्देशित किया कि अवस्थापना विकास निधि की धनराशि नगर
लिकाओं को नहीं दी जायेगी बल्कि इन कार्यो को परियोजना (Project Mode) के रूप में
क्रयान्वित कराया जाये। इसके लिए विभिन्न नगर निकायों द्वारा अपनी प्राथमिकतायों का
ष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किये जाएं।
- मा0मंत्री जी ने निर्देशित किया कि अलग–अलग प्रोजेक्ट के अनुरूप इन कार्यो को
म्बन्धित विशेषज्ञ विभागों एंव अन्य विशेषज्ञ संस्थाओ से क्रियान्वित कराया जायेगा । नगर
कायों में इन प्रोजेक्टों को सम्पादित करने के लिए विशेषज्ञ तैनात नहीं हैं अतः विशेषज्ञ
स्थायें एंव विशेषज्ञ विभाग ही इन कार्यो को सम्पादित करेंगें।
- नगर निकायों की समस्त प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव इस
धि के अन्तर्गत कार्य करने हेतु नगर निकायों द्वारा भेजे जा सकते है। प्रथम चरण में
म्नप्रकार के प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी:–

(क) नगर निकाय के कार्यालय भवन का निर्माण / पुर्ननिमार्ण / अतिरिक्त भवन निर्माण (Extention)

(ख) नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं का विकास (यदि बस शेल्टर बनाने है तो ऐसे कार्यो को Boot Basis पर किया जाना चाहिए।)

(ग) वर्षा जल की निकासी का कार्य इसे एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से प्राप्त धनराशि से कराया जा सकता है।

(घ) बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र ।

(ड.) पथ प्रकाश व्यवस्था ।

4– इन कार्यों के सम्पादन हेतु एक प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति की जाये। यह प्रोजे मैनेजर कोई विशेषज्ञ विभाग अथवा विशेषज्ञ संस्था हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजर नग निकायों के प्रस्तावों का परीक्षण कर रोड मैप तैयार करेगें।

5– अधिशासी अधिकारियों को पत्र लिखा जाये कि उनके नगर निकायों में कहां कहां भवन की आवश्यकता है वे उसका प्रस्ताव दें।

एक सप्ताह के बाद पुनः बैठक रखी जाये।

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव,
शहरी विकास विभाग।

संख्याः 1184/V/श0वि0–166(सा0)03 - TC दिनांक 15 अप्रैल,2005

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/अवस्थापना आयुक्त,उत्तरांचल शासन।
2– प्रमुख सचिव, वित्त,उत्तरांचल शासन।
3– श्री के0सी0मिश्रा, अपर सचिव (वित्त)
4– निदेशक, शहरी विकास विभाग/निदेशक, सूडा, उत्तरांचल शासन।
5– श्री के0एल0आर्य, अपर प्रमुख वन संरक्षक,उत्तरांचल।
6– श्री वृज बी0रतन ,प्रभारी अधिकारी नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग।
7– श्री बी0डी0रतूड़ी ,पर्यावरण अभियन्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,उत्तरांचल।
8– श्री एस0एस0 पाल, स0वै0अधि0,उत्तरांचल।
9– निजी सचिव, मा0शहरी विकास मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

(डी0 के0गुप्ता)
अपर सचिव।

अवस्थापना विकास निधि – परिकल्पना

उत्तरांचल राज्य के स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वे अपने स्थानीय संसाधनों द्वारा नागरिकों को उच्च स्तरीय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जनसंख्या घनत्व काफी कम है, परन्तु बाहर के यात्री एवं पर्यटक काफी बड़ी संख्या में उत्तरांचल आते हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों से कोई आय नहीं होती, परन्तु उनके लिए समस्त नागरिक सुविधा स्थानीय निकायों को ही उपलब्ध करानी पड़ती है। विभिन्न समुदायों के अनेक अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी उत्तरांचल प्रान्त में स्थापित हैं, जिनमें बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। इन यात्रियों के लिए स्थानीय निकायों द्वारा ही सारी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्थाऐं करनी होती हैं। विगत में लिए जाने वाले टैक्स, चुंगी आदि को कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के समय से ही समाप्त किया जा चुका है। इन सब के परिणामस्वरूप उत्तरांचल प्रदेश के स्थानीय निकाय अत्यन्त जर्जर आर्थिक स्थिति में पहुँच चुके हैं। अनेक निकायों की आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि वे आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारियों का वेतन भी अनेक माह से नहीं दे पा रहे हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि स्थानीय निकायों को अवस्थापना विकास निधि के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जाय, ताकि स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। अवस्थापना विकास निधि से धनराशि सभी स्थानीय निकायों को उनकी आवश्यकतानुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दी जायेगी:–

1– अवस्थापना विकास निधि की धनराशि प्रान्त की सभी निकायों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

2– नगरों के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है:–

(क) उत्तरांचल की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्रों के अन्तर्गत सड़कों, गलियों, पुलों, गलियों आदि के निर्माण एवं उनका अनुरक्षण।

(ख) नगरीय निकाय के सीमान्तर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था।

(ग) नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग–स्थल का निर्माण एवं उसका अनुरक्षण।

(घ) नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन/सफाई उपकरणों का क्रय।

(च) नगरीय क्षेत्र में यात्री सुविधा के विकास हेतु रैनबसेरा, विश्रामगृह शौचालय आदि का निर्माण।

(छ) नगरीय क्षेत्रों का सामान्य जलोत्सारण तथा अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था।

NIC-58

(ज) वर्षा जल (स्टॉर्म ड्रेन वाटर) के निस्तारण की व्यवस्था।

(झ) नगर पालिका के निहित दायित्वों उसके प्रबन्धन में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा,अनुरक्षण एवं विकास करना ।

(ट) मलिन बस्तियों का सुधार एवं उन्नयन ।

(ठ) नगरीय क्षेत्र की अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास , जो स्थानीय निकायो के सामान्य दायित्वों में आते है।

3– अवस्थापना विकास निधि की धनराशि का संचालन शहरी विकास विभाग की एक समिति द्वारा किया जायेगा। सचिव, शहरी विकास समिति के अध्यक्ष होगें। अपर सचिव , शहरी विकास समिति के पदेन सचिव होगें। अपर सचिव , वित्त, अपर सचिव ,नियोजन , निदेशक सूडा तथा निदेशक शहरी विकास समिति के सदस्य होगें। सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रभारी नगर एवं ग्राम नियोजन इस समिति के आमंत्रित सदस्य होगें।

4– इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड हेतु आगामी पांच वर्षो में अनुमानित 500.00 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2003–04 के बजट में 8.00 करोड़ रुपये की धनराशि से अवस्थापना विकास निधि की स्थापना की जा चुकी है, परन्तु बजट इस धनराशि का प्रावधान ऋण के रुप में किया गया है । निकायों की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि ऋण के रुप में प्राप्त धनराशि का उपयोग कर ऋण का भुगतान स्थानीय निकाय कर सकें। अतएवं प्रस्तावित है कि पूर्व में स्वीकृत की गई 8.00 करोड़ रुपये के ऋण की राशि को अनुदान में परिवर्तित करने के साथ साथ इस वित्तीय वर्ष में 50.00 करोड़ की धनराशि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड हेतु स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

ह0/– डी0के0गुप्ता/29–3–04
अपर सचिव, शहरी विकास।

नगरीय अवस्थापना सुविधा में सुधार लाने हेतु इस प्रकार का एक पहल आवश्यक है । यह शर्त रखा जायेगा कि स्वीकृत कार्य के लिये ही धनराशि व्यय की जाये। समिति द्वारा कार्य का भी अनुमोदन किया जाना है।स्वीकृति देते समय सम्बन्धित निकाय की वित्तीय स्थिति , कर आदि वसूलने की स्थिति व यात्रा रुट आदि विशिष्टतः प्राथमिकता प्रदान करेगा।

ह0/–एम0रामचन्द्रन,/30–3–04
अपर मुख्य सचिव/अवस्थापना विकास आयुक्त ।